संख्या-163/2015/3435/41-15-04 यो0/2014

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 18 दिसम्बर, 2015

विषय- राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद लखीमपुर खीरी के गोला गोकरणनाथ (छोटी काशी) के पर्यटन विकास हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्र सं0-1370/6-1-1(435)/2015, दिनांक 08-10-2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद लखीमपुर खीरी के गोला गोकरणनाथ (छोटी काशी) के पर्यटन विकास हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत रू0-110.19 लाख (रूपये एक करोड़ दस लाख उन्नीस हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 44.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 124/41-2014-04 यो0/14, दिनांक-04.03.2014 द्वारा प्रदान की गयी है।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद लखीमपुर खीरी के गोला गोकरणनाथ (छोटी काशी) के पर्यटन विकास हेतु अवशेष धनराशि रू0 66.19 लाख (रूपये छांछठ लाख उन्नीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
3. कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना, स्थल के फोटोग्राफ सहित तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5. यह सुनिश्चत किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।
6. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय वित्त समिति की शर्तों एवं वित्तीय नियमों के अन्तर्गत व्यय की जायेगी।

7. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

3. उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104- संवर्धन तथा प्रचार-14-ऐतिहासिक/पौराणिक स्थलों पर पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30-03-2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

<u>संख्या-163/2015/3435(1)/41-2015 तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4- वित्त नियन्त्रक पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
6- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ।
7- निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
8- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
9- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।